


कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

--: कार्यालय आदेश :-

निम्नांकित प्राध्यापक, रसायन विज्ञान (स्कूल शिक्षा) को विदेश यात्रा पर जाने की स्वीकृति-निम्नांकित शर्तों के आधार पर दी जाती है।

क्र०सं०	नाम कार्मिक मय पदस्थापन स्थान	विदेश यात्रा का कारण व अवधि	विदेश का नाम जहां यात्रा करनी है
1.	श्रीमती अंजना ढल्ला राबाउमावि बारहगुवाड, बीकानेर	पुत्र से मिलने एवं स्कूल के दीक्षान्त समारोह में भाग लेने हेतु (अवधि दिनांक 30.04.19 से 25.05.19 कुल 26 दिवस)	संयुक्त राज्य अमेरिका

1. विदेश यात्रा के दौरान किसी प्रकार का व्यवसाय नहीं करेंगे।
2. विदेश यात्रा के लिए प्रथम बार नें आवेदित अवकाश में किसी प्रकार की वृद्धि राज्य सरकार की अनुमति बिना स्वीकृति नहीं होगी तथा निर्धारित तथा निर्धारित अवधि के बाद लौटकर नहीं आने पर सी.सी.ए नियमों के तहत अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी।
3. विदेश से भेजा गया " त्यागपत्र " स्वीकृत नहीं किया जावेगा।
4. विदेश यात्रा के दौरान राज्य सरकार के माध्यम से कोई विदेशी विनियम नहीं किया जायेगा एवं न ही राजकीय स्रोत से इन्हें कोई विदेशी मुद्रा उपलब्ध करवाई जायेगी।
5. उक्त कर्मचारी सक्षम अधिकार से अपना अवकाश स्वीकृत कराने के पश्चात ही विदेश को प्रस्थान करेंगे। अवकाश समाप्ति के तत्काल पश्चात संस्था में अपनी उपस्थिति अनिवार्य रूप से देनी होगी। एक बार में स्वीकृत अवकाश को आगे बढ़ाया नहीं जायेगा।
6. विदेश प्रसाव के दौरान किसी भी प्रकार का नियोजन स्वीकार नहीं करेंगे।
7. विदेश प्रसाव के दौरान जहां-जहां पर रहेंगे उनके पत्ते इस विभाग को तुरन्त अवगत करावें।
8. विदेश प्रसाव के दौरान किसी प्रकार का अध्ययन नहीं करेंगे।
9. यात्रा का सनस्त खर्च स्वयं के द्वारा वहन किया जावेगा।
10. (अ) सक्षम अधिकारी द्वारा विदेश जाने हेतु जब भी अवकाश स्वीकृत किया जावे उससे पूर्व यह पुष्टि आवश्यक रूप से कर लें कि उक्त कर्मचारी के विरुद्ध तत्समय कोई विभागीय जांच/कार्यवाही प्रस्तावित/विचाराधीन नहीं है।
(ब) कर्मचारी के विरुद्ध तत्समय कोई न्यायिक वाद लम्बित/विचाराधीन नहीं है।
(क) कर्मचारी के अवकाश पर जाने से कार्यालय/संस्था का कार्य प्रभावित नहीं हों।
(ख) कर्मचारी द्वारा अपना कार्यभार एवं महत्वपूर्ण दस्तावेजों को हस्तान्तरणपूर्ण रूप से कर दिया गया है।



(नथमल डिल्लोन)

निदेशक माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान, बीकानेर
दिनांक 07/05/19

क्रमांक :- शिविरा-मा/संस्था/सी-4/रसायन विज्ञान/विदेश यात्रा अनुमति/2019

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. संबंधित संयुक्त निदेशक स्कूल शिक्षा, बीकानेर
2. संबंधित मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक, बीकानेर
3. संबंधित प्रधानाचार्य राबाउमावि बारहगुवाड, बीकानेर
4. संबंधित कार्मिक श्रीमती अंजना ढल्ला व्याख्याता रसायन विज्ञान राबाउमावि बारहगुवाड, बीकानेर
5. सिस्टम एनालिस्ट, कम्प्यूटर अनुभाग कार्यालय हाजा को विभागीय वेबसाईट पर प्रसारित करने हेतु।
6. निजी एवं रक्षित पत्रावली।


संयुक्त निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर


कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

—:: कार्यालय आदेश ::—

निम्नांकित प्राध्यापक, जीव विज्ञान (स्कूल शिक्षा) को विदेश यात्रा पर जाने की स्वीकृति-निम्नांकित शर्तों के आधार पर दी जाती है।

क्र०सं०	नाम कार्मिक मय पदस्थापन स्थान	विदेश यात्रा का कारण व अवधि	विदेश का नाम जहां यात्रा करनी है
1	श्री सुजीत कुमार राउमावि पीली की तलाई आमेर-जयपुर	भ्रमण हेतु (अवधि दिनांक 31.03.19 से 05.04.19 कुल 06 दिवस)	दूबई भ्रमण हेतु

1. विदेश यात्रा के दौरान किसी प्रकार का व्यवसाय नहीं करेंगे।
2. विदेश यात्रा के लिए प्रथम बार में आवेदित अवकाश में किसी प्रकार की वृद्धि राज्य सरकार की अनुमति बिना स्वीकृति नहीं होगी तथा निर्धारित तथा निर्धारित अवधि के बाद लौटकर नहीं आने पर सी.सी.ए नियमों के तहत अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी।
3. विदेश से भेजा गया " त्यागपत्र " स्वीकृत नहीं किया जावेगा।
4. विदेश यात्रा के दौरान राज्य सरकार के माध्यम से कोई विदेशी विनियम नहीं किया जायेगा एवं न ही राजकीय स्रोत से इन्हें कोई विदेशी मुद्रा उपलब्ध करवाई जायेगी।
5. उक्त कार्मिकारी सक्षम अधिकार से अपना अवकाश स्वीकृत कराने के पश्चात ही विदेश को प्रस्थान करेंगे। अवकाश समाप्ति के तत्काल पश्चात संस्था में अपनी उपस्थिति अनिवार्य रूप से देनी होगी। एक बार में स्वीकृत अवकाश को आगे बढ़ाया नहीं जायेगा।
6. विदेश प्रसाव के दौरान किसी भी प्रकार का नियोजन स्वीकार नहीं करेंगे।
7. विदेश प्रसाव के दौरान जहां-जहां पर रहेंगे उनके पत्ते इस विभाग को तुरन्त अवगत करावें।
8. विदेश प्रसाव के दौरान किसी प्रकार का अध्ययन नहीं करेंगे।
9. यात्रा का समस्त खर्चा स्वयं के द्वारा वहन किया जावेगा।
- 10 (अ) सक्षम अधिकारी द्वारा विदेश जाने हेतु जब भी अवकाश स्वीकृत किया जावे उससे पूर्व यह पुष्टि आवश्यक रूप से कर लें कि उक्त कर्मचारी के विरुद्ध तत्समय कोई विभागीय जांच/कार्यवाही प्रस्तावित/विचाराधीन नहीं है।
(ब) कर्मचारी के विरुद्ध तत्समय कोई न्यायिक वाद लम्बित/विचाराधीन नहीं है।
(स) कर्मचारी के अवकाश पर जाने से कार्यालय/संस्था का कार्य प्रभावित नहीं हों।
(द) कर्मचारी द्वारा अपना कार्यभार एवं महत्वपूर्ण दस्तावेजों को हस्तान्तरणपूर्ण रूप से कर दिया गया है।



(नथमल डिडेल)

आई.ए.
निदेशक माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान, बीकानेर
दिनांक 07/3/19

क्रमांक :- शिविर-मा/संस्था/सी-4/रसायन विज्ञान/विदेश यात्रा अनुमति/2019

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. संबंधित संयुक्त निदेशक स्कूल शिक्षा, जयपुर
2. संबंधित मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक, जयपुर
3. संबंधित प्रधानाचार्य राउमावि पीली की तलाई, आमेर जयपुर
4. संबंधित कार्मिक श्री सुजीत कुमार व्याख्याता जीव विज्ञान
5. सिस्टम एनालिस्ट, कम्प्यूटर अनुभाग कार्यालय हाजा को विभागीय वेबसाईट पर प्रसारित करने हेतु।
6. निजी एवं रक्षित पत्रावली।


संयुक्त निदेशक (कार्मिक)

माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर